[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (i)

Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs

New Delhi, the 29 September, 2017

NOTIFICATION

G.S.R--------(E).- In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificate Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend National Savings Certificate (VIII Issue) Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificate (VIII Issue) (Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Savings Certificate (VIII Issue) Rules, 1989, -

   (i) in rule 2, for clause (i), the following clauses shall be substituted, namely:-

   '(i) "Aadhaar number" means an identification number as defined in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);

   (ia) "Act" means the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959);';

   (ii) after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:-

   "(4A) **Identification of Account holders.** - The Aadhaar number shall be the unique identifier for the purpose of establishing the identity of an account holder:

   Provided that where Aadhaar number has not been assigned, the depositor shall submit proof of application of enrolment for Aadhaar:

   Provided further that every depositor under this rule who has not given his Aadhaar number at the time of application for such deposit shall submit his Aadhaar number to the Post Office Savings Bank concerned, on or before the 31st day of December, 2017.".

[F. No. 1/3/2015-NS.II]

(Prashant Goyal)
Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published vide G.S.R. 496(E), dated the 1st May, 1989 and subsequently amended vide G.S.R. 508(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 120(E), dated the 18th March, 1998, G.S.R. 7(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 491(E), dated the 6th July, 1999, G.S.R. 47(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 156(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 572(e), dated the 2nd August, 2001, G.S.R. 163(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 711(E), dated the 17th October, 2002, G.S.R. 179(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 590(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 591(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 820(E), dated the 16th October, 2003, G.S.R. 289(E) dated the 13th May, 2005, G.S.R. 744(E), dated the 4th October, 2011, G.S.R. 842(E) dated the 25th November, 2011, G.S.R. 318(E), dated the 25th April, 2013 and G.S.R. 397(E), dated the 25th June 2013, G.S.R. 226(E), dated the 13th March, 2014, G.S.R. 494 (E), dated the 11th July, 2014, G.S.R. 354(E), dated the 29th March, 2016, G.S.R. 944(E) dated the 30th September, 2016 and G.S.R., G.S.R. 54(E) dated the 18th January, 2017, G.S.R. 382(E), dated the 31st March, 2017 and G.S.R. 863(E), dated the 30th June, 2017 .

*****

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड-(i) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ) - केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) नियम, 1989 में,

(i) नियम 2 में खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-
"(i) 'आधार संख्या' से आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क) में यथा परिभाषित पहचान संख्या अभिप्रेत है।
(iक) 'अधिनियम' से सरकारी बचत पत्र अधिनियम 1959 (1959 का 46) अभिप्रेत है।

(ii) नियम 4 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात:-

"(4क) खाता धारक की पहचान - यह आधार संख्या खाता धारक की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ विशिष्ट पहचान होगी।

परंतु जहां आधार संख्या नहीं दी गई है, जमाकर्ता आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

परंतु और यह भी कि इस नियम के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को जिसने ऐसे जमा के लिए आवेदन करते समय अपनी आधार संख्या नहीं दी है, को 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले संबंधित डाकघर बचत बैंक में अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करनी होगी।"

[फा.सं. 1/3/2015-एनएस-II]

(प्रशांत गोयल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल नियम सा.का.नि. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989, को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे सा.का.नि. 508(अ), तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि. 120(अ), तारीख 18 मार्च, 1998, सा.का.नि. 7(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 491(अ), तारीख 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि. 47(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 156(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 572(अ), तारीख 2 अगस्त, 2001, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 711(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2002, सा.का.नि. 179(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 590(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 591(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 820(अ), तारीख 16 अक्टूबर , 2003, सा.का.नि. 289(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 744(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011 और सा.का.नि. 842(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 318(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2013, और सा.का.नि. 397(अ), तारीख 25 जून, 2013, सा.का.नि. 226(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि. 494(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 354(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, सा.का.नि. 944(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016, सा.का.नि. 54(अ), तारीख 18 जनवरी, 2017, सा.का.नि. 382(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 और सा.का.नि. 863(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।